agriculture and peasants are obliged to pay anything from 12 per cent to 48 per cent per annum as interest, do Government propose to so re-orient their own plan for asking aid from the World Bank and other institutions as to give priority for more and more finance to come from abroad and also from home sources in order to make this factor of production less costly than it is today to the peasants?

Shri Sachindra Chaudhuri: I am very glad that Prof. Ranga has raised this question. This is a matter which is engaging the very anxious consideration of the Government as to how we can get credit facilities easily and at low rates of interest for agriculturists and how it can be taken to the villages and made easily available to the agriculturists. It is under the active consideration of Government. Whether the resources can be from India or abroad is a matter which has to be considered in the light of circumstances obtaining in the country.

Adulteration in Foodgrains

+

*93. **Shri R. S. Pandey:**
Shri N. R. Laskar:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri R. Barua:
Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is large scale adulteration in foodgrains and other foodstuffs in the country; and

(b) if so, whether Government have taken any measures to check adulteration in foodstuffs?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthi): (a) and (b). The provisions of Prevention of Food Adulteration Act have been made more stringent and States have been asked to ensure proper enforcement of the Act. Government has no report of large scale adulteration.

श्री राम सहाय पाण्डेय : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि एक कानन भी बना है, उसको कार्यान्वित करने का भी प्रयत्न करेंगे और यह कि कोई खास शिकायत उनको नहीं मिली, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य वस्तुओं का इस देश में चूंकि अभाव है इसलिये दुकानदार गेहूं में मिट्टी, चावल में छोटे छोटे सफेद पत्थर , तेल और घी में मिलावट, मसालों में गेरू रंग और मिट्टी, दूध में पानी और पानी में कभी कभी कीचड़ भी दिखाई पड़ता है, हमारी श्रीमती जी एक दुकानदार के यहां गईं और उन्होंने कहा ...

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह भाषण हो रहा है या सवाल पूछा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : भाषण तमाम सदस्य करते हैं सप्लीमेंट्री नहीं भाषण ही ये सब ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं ...

अध्यक्ष महोदय : भाषण तो है । यह सप्लीमेंट्री तो नहीं है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि ऐक्ट के पास होने, उसके कार्यान्वित करने और आपको शिकायत न मिलने के बीच में यह क्या देश भर में हो रहा है ? यह क्या मिलावट नहीं है कि गेहूं और चावल में मिलावट होती है । मैं ने श्रीमती जी का कोट किया कि उन्होंने दुकानदार से कहा कि गेहूं में इतनी मिट्टी क्यों है तो उस ने कहा कि यह शरीर ही मिट्टी का है इस में अगर थोड़ी सी मिट्टी मिला दी तो क्या बुराई की, तो क्या वह मिलावट नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मेम्बरों की शिकायत तो सुन सकता हूं, गैर मेम्बरों की कैसे सुन सकता हूं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : श्रीमन्, हमें यह दुख से स्वीकार करना होगा कि खाद्यान्न में मिलावट होती है और तरह तरह की मिलावट होती है। इस मिलावट को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है । इसके लिए हम सभी चिन्तित रहे हैं और थोड़ा समय पहले इस सदन ने इस गुनाह के लिये कड़ी सजा देने का एक कानून यहां पर पारित किया था । अब उस कानून के तहत जगह जगह पर ज्यादा कड़ाई से काम हो, कम से कम 6 महीने का जेलखाना उनको सदन ने देना तय किया था और बाकी फाइन वगैरह भी तय किये थे । अब जैसा कि सदन जानता है इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन म्युनिसिपैलिटीज करती हैं । इसलिए हमने स्टेटस से यह भी कहा है कि वे इस काम का कुछ केन्द्रीकरण स्टेट लेवल पर करें । इसके अलावा राशन शाप्स और फेयर प्राइस शाप्स वगैरह में जो अनाज जाता है उसको भी टेकनिकल आफिसर्स देखें और अगर उस में मिलावट होती है तो उसको रोका जाये, इस के लिए उनको कहा गया है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जिन अधिकारियों की बात मंत्री जी ने कही कि वह जाकर के देखें, उनको तो अच्छा मिलता है, वह जाकर के देखेंगे क्या और पता क्या चलेगा ? सब से अनुचित बात तो यह होती है कि ग्राहकों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को और म्युनिसिपैलिटीज को आप सतर्क कीजिए कि वह क्या कर रहे हैं ? और अधिक से अधिक सख्त कार्यवाही करें।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, सतर्क तो सब को किया है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य कहें कि हम किसी दुकान पर छापा डलवाना चाहते हैं तो मैंने चीफ कमिश्नर साहब से यहां पर यह भी कहा है कि वे तुरन्त किसी आदमी को उनके साथ करेंगे ताकि वहां से सैम्पल लाया जाय और गुनहगार को सजा दी जाये । तो पूरी कोशिश तो हो रही है लेकिन अगर मैं यह कहूं कि उस कोशिश के नतीजे में हम कुछ हासिल कर पाये हैं, अच्छी तरह से, तो वह बात नहीं ।

Shri N. R. Laskar: Just now the hon. Deputy Minister stated that they have no reports of large-scale adulteration. In reply to a question it was stated in this very House that between 30 to 50 per cent of the samples taken in 1963 were found to be adulterated in different States. Has this adulteration vanished altogether in the meantime?

Dr. Sushila Nayar: What the hon. Deputy Minister stated was that there has not been any report of recent increase in this problem. The problem has been there and the problem varies from State to State. In some States samples upto 17 per cent have been found to be adulterated, in some 16 per cent and in some 36 per cent: so that depending upon the implementation of the P.F.A. Act, the problem varies from State to State. We are asking all States to do the needful. We have also made some provision in the Fourth Plan to assist the States to improve their enforcement machinery, laboratory facilities etc.

श्री विश्राम प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि शायद हिन्दुस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस में मिलावट न होती हो, मसाले की बात है कि पपीते का बीज काली मिर्च बन गया और घोड़े की लीद जीरा बन जाता है, यह खाने को यहां के लोगों को मिलता है, तो यह जो आपके यहां एडलटरेशन है यह कितने समय में यह सरकार खत्म कर देगी ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, सरकार तभी यह समस्या खत्म कर सकेगी जब सभी नागरिक उस के साथ में सहयोग करेंगे, चोरों को पकड़वाने में और सजा दिलवाने में मदद देंगे

श्री यशपाल सिंह : इसी हाउस में खाद्यान्नों में मिलावट करने वालों के लिए जिन्दगी भर की सजा की बात कही गई थी । और व्यापारियों के घर से ढाई ढाई सौ टिन जानवरों की चरबी के पकड़े गए हैं जो वह घी में मिलाकर बेच रहे थे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष भर में सब से ज्यादा सब से बड़ी कौन-सी सजा दी गई है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने आजीवन जेल की बात कही थी लेकिन सदन ने ज्यादा से ज्यादा 6 साल की सजा पारित की थी . . .

श्री यशपाल सिंह : किसी को मिली है 6 साल की ?

डा० सुशीला नायर : अब मैं इतना कह सकती हूं कि श्रीमन्, कि मेरे पास स्टेटमेंट है कि किस किस स्टेट में कितनों को जेल खाने की सजा मिली है । काफी बड़ी संख्या में लोगों को जेलखाना मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : सब से ज्यादा सजा कितनी मिली है ?

डा० सुशीला नायर : कम से कम छ महीना है । सब से लम्बा अरसा जेलखाने का मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं इकट्ठा कर के दे दूंगी ।

श्री यशपाल सिंह: वह एलेक्शन फंड में देते हैं इसलिए माफ कर दिये जाते हैं ।

Shrimati Jyotsna Chanda: Will the hon. Minister kindly state how many cases have been detected and how many cases have been disposed of State-wise just after the amendment of the Food Adulteration Act?

Dr. Sushila Nayar: I have a long statement Statewise. If the hon. Member wants it, I will send her a copy.

Mr. Speaker: That might be laid on the Table.

Dr. Sushila Nayar: I shall lay it on the Table.

Shrimati Vimala Deshmukh: Is the Government aware of the fact that some iron particles were mixed in maida which was sold in Bombay grain shops? May I know from the Health Minister as to what steps the Government is taking to remedy this social evil?

Dr. Sushila Nayar: It is not possible for me to know about each case of adulteration in each State. If the hon. Member writes to me I will get full information and send it to her.

श्री गुलशन : क्या यह सच नहीं है कि भारतवर्ष में मिलावट से रहित कोई शहर नहीं है, सरकार मिलावट को रोकने में असफल रही है ? मिलावट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ? इसके लिए जैसा पंजाब और हरियाने में अभी अभी छापा मारा गया जिसमें काफी खाद्यान्न पकड़ा गया जिनमें घोड़े और गधे की लीद और लकड़ी का बूरा मिला था, तो क्या जो ऐसे छापे मारे गए और लोग पकड़े गए सरकार उन लोगों को सजा देने के लिए तैयार है या कि टाल-मटोल करना चाहती है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, जो लोग पकड़े गए हैं उनको जरूर सजा मिलेगी । उनके केसेज में जैसा कोर्ट्स फैसला करेंगी, वैसा होगा ।

Shri Hem Barua: May I know if Government are aware of the fact that even grains collected under PL-480 are adulterated with iron particles, stones and pebbles? Not only food but also the morals of Indians are getting adulterated today. In that context, may I know why it is that Government have not taken drastic steps against these anti-social elements as they are trying to do in Punjab?

Dr. Sushila Nayar: So far as the adulteration of morals is concerned, Prof. Hem Barua as a teacher should look after that rather than the Government of the Health Ministry. So far as the foodgrains are concerned, we do want to take drastic steps

against offenders and we have written to all State Governments and asked them to take drastic steps as they are doing in Punjab.

Shri Hem Barua: How can I carry this heavy burden?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, खाद्य के अन्दर मिलावट के सिलसिले में पंजाबी सूबे और हरियाणा में जो व्यापारी पकड़े गए हैं उनका जो लगाव था वह भूतपूर्व मंत्रिमंडल के साथ था। तो क्या सरकार उन बड़े आदमियों पर भी हाथ डालने का विचार रखती है जो मंत्रिमंडल में थे और उसके अन्दर सम्मिलित थे ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, मुझे तो कुछ बात आपकी पूरी समझ में आई नहीं है .....

अध्यक्ष महोदय वह कहते हैं कि जो पकड़े गए हैं उनका कुछ सम्बन्ध पुराने मंत्रिमंडल से था। अगर बड़े आदमी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी ?

डा० सुशीला नायर : बड़े छोटे का कोई लिहाज कानून नहीं करता। सब पर बराबर कानूनी कार्यवाही होगी ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय यह मंत्रिमंडल के अन्दर .....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि कोई लिहाज नहीं करेंगे ।

अनुसूचित जातियों के लिये आर्थिक विकास कार्यक्रम

\+

*94. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अनुसूचित जातियों सम्बन्धी आर्थिक विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिये उन्हें स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपने का प्रस्ताव है ;

(ख) सरकार अब तक किये गये कार्य से कहां तक सन्तुष्ट है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पुनरीक्षित योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) At present there is no such proposal.

(b) Various measures and programmes have been undertaken and are being implemented by the State Governments. The progress is constantly reviewed and improvements are brought about whenever necessary. The Government is aware that still more has to be done in this respect.

(c) Does not arise.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इन स्वयं-सेवी संस्थाओं में दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक तो वे जो सरकार से किसी प्रकार की सहायता लिये बिना कार्य करते हैं, दूसरे वे संगठन होते हैं जो लगभग अर्ध-सरकारी या तीन चौथाई सरकार से होते हैं, जैसे भारत सेवक समाज, सोशल वेलफेयर बोर्ड आदि। इन स्वयं-सेवी संगठनों के सम्बन्ध में अब तक का सरकार का अनुभव क्या है ? जो पैसा सरकार ने अपनी इन अर्ध-सरकारी या तीन-चौथाई सरकारी संगठनों के द्वारा खर्च किया है, क्या उनके द्वारा अच्छा कार्य हुआ है या जो संगठन सरकारी सहयोग के बिना कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा अच्छा कार्य हुआ है ?

Shrimati Chandrasekhar: We assist all-India organisations which take up welfare programmes in the country, wherever voluntary organisations are capable of taking up this work on an